रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 1990/भाद्र 2, 1912
No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 1990/BHADRA 2, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1990

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 43-ईटीसी(पीएन)/90

विषय:—कास्ट आयरन पाईप्स और फिटिंग्स के सिवाय आयरन और स्टील का निर्यात ।

फाइल सं. 5(4)/90-ई-2 :— उपर्युक्त विषयक 24-8-90 के निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश सं. ई(सी) ओ, 1988/ए एम(65) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि कास्ट आयरन पाइप्स और फिटिंग से भिन्न आयरन और स्टील अर्थात्, एकीकृत स्टील संयंत्रों, अलाय स्टील संयंत्रों, मिनी स्टील संयंत्रों, सैकेण्ड्री उत्पादक और रिरोलरों द्वारा उत्पादित स्टील के निर्यात को इस शर्त के साथ खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत अनुमेय किया जाए कि आयरन और स्टील विकास आयुक्त, कलकत्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और, निर्यात उनके कुल उत्पादन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

3. यह सार्वजनिक सूचना लोकहित में जारी की गई है ।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 43-ETC(PN)/90

New Delhi, the 24th August, 1990

Subject : Export of Iron & Steel other than Cast Iron Pipes and Fittings.

File No. 5(4)/90/E-II.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1988/AM(65) dated the 24th August, 1990, on the above subject.

2. On review of the situation, it has been decided to allow export of Iron and Steel other than cast Iron pipes and fittings namely, Steel produced by integrated steel plants, alloy steel plants, Mini-steel plants, secondary producers and re-rollers under OGL No. 3 with the condition that No Objection Certificate from Development Commissioner for Iron and Steel, Calcutta is obtained and does not exceed 10 per cent of their total production.

3. This Public Notice has been issued in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990